(166)

संख्याः– 1356/xx-1/12–4(04)2012

प्रेषक,

अमित सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 7 जून, 2012

विषयः–13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पुलिस चौकी श्री केदारनाथ में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–130–2007, दिनांक 02 मार्च, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त अयोग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में पुलिस चौकी श्री केदारनाथ के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था 'ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग', जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ₹ 4.74 लाख के आगणन का तकनीकी परीक्षणोपरान्त ₹ 2.16 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में **₹ 2.16 लाख**(रूपये दो लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5– कार्य तथा इस हेतु सामग्री कय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (Uttarakhand Procurement Rules), 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

कमश.....2

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जायेगी।

8– प्रथम चरण हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि के सापेक्ष शीघ्रातिशीघ्र द्वितीय चरण हेतु विस्तृत आगणन लो.नि.वि. की प्रचलित दरों व विशिष्टियों तथा अनुमन्य कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 0102–13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुलिस थाना/चौकी का निर्माण के मानक मद 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–12/P/xxvii(5)/12, दिनांक 04 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिन्हा)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
7. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव